मो0 तनवीर आलम तारिक, मुख्य अभियंता–4 (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–02.09.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रशाखा–13 से संबंधित मासिक लेखा ससमय महालेखाकार कार्यालय को समर्पित नहीं किये जाने एवं त्रुटिपूर्ण मासिक लेखा के निराकरण हेतु समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

श्री उदय कान्त चौधरी, अवर सचिव, सदस्य
श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मु0अ0–4, सदस्य
श्री विनोद कुमार नगवंशी, प्रशाखा पदाधिकारी–13, सदस्य

1. ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य प्रमण्डलों से संबंधित मासिक लेखा ससमय समर्पित नहीं किये जाने हेतु तथा कार्य प्रमण्डलों द्वारा समर्पित मासिक लेखा जो त्रुटिपूर्ण है, उसके निराकरण हेतु विभागीय स्तर पर मुख्य अभियंता–4 के अध्यक्षता में बैठक की गई।

2. उक्त बैठक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा, सिवान–1, मुजफ्फरपुर पश्चिम, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1, गया द्वारा भाग लिया गया।

3. उप महालेखाकार, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–24 दिनांक–18.04.19 द्वारा समर्पित पत्र जिसके Annexure- A के अनुसार कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद, अररिया, बगहा, भागलपुर, कहलगॉव, बेगूसराय, आरा, बांका–2, विरौल, वीरपुर, दलसिंहसराय, बेनीपुर, दरभंगा–2, दरभंगा–1, दानापुर, दाउदनगर, अरेराज, हथुआ, गोपालगंज–2, गया, नीमचक–बथानी, झंझारपुर, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, गोगरी, किशनगंज–2, किशनगंज–1, बारसोई, मनिहारी, बेनीपट्टी, मधेपुरा, खड़गपुर–तारापुर, मसौढ़ी, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1, मुजफ्फरपुर पूर्वी–2, मुजफ्फरपुर पश्चिम, नवगछिया, नरकटियागंज, हिलसा, हरनौत, नवादा, पुपरी, धमदाहा, बायसी, पटना, विक्रमगंज, सासाराम–1, शिवहर, सीतामढ़ी, बेलसंड, सुपौल, इमामगंज, पटोरी, छपरा–1, समस्तीपुर, रोसड़ा, सिवान–1, महाराजगंज, टिकारी, त्रिवेणीगंज, उदाकिशुनगंज, क्षेत्रीय प्रयोगशाला भागलपुर, अग्रिम योजना प्रमण्डल–3 पटना, एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियाँ द्वारा मार्च 2019 का मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को समर्पित नहीं किया गया है। तथा Annexure- B के अनुसार कार्य प्रमण्डल, आरा का माह दिसम्बर से, किशनगंज–2 का माह फरवरी से, कहलगॉव का माह फरवरी से, पकड़ीदयाल का माह दिसम्बर से, सिमरी–बख्तियारपुर का माह जनवरी से, मनिहारी का माह फरवरी से, एवं शेरघाटी का माह जनवरी से मासिक लेखा जो महालेखाकार कार्यालय को समर्पित किया गया है, वो त्रुटिपूर्ण है। जिसका निराकरण किया जाना अतिआवश्यक है।

4. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–8719 दिनांक–30.11.2018 से प्राप्त पत्र जो **कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1/ मुजफ्फरपुर पश्चिम एवं सिवान–1** के प्रेषित मासिक लेखाओं में महालेखाकार लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा उठाये गये अंकेक्षण आपत्तियों से संबंधित है, जिसकी प्रति विभागीय पत्रांक–20 दिनांक–02.01.2019 द्वारा संबंधित कार्यालय को प्रेषित करते हुए वित्त विभाग के पत्र की **कंडिका–2 में तालिकांकित कार्य प्रमण्डलों के अग्रिम के रूप में लंबित राशि का भुगतान से संबंधित है, जिसका समायोजन लंबित है। इस संदर्भ में अभियान चलाकर पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके नाम पर लंबित** अग्रिम राशि **के समायोजन करने के संबंध में यथोचित**

कार्रवाई करते हुए उसकी सूचना **यथा शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था,** जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पश्चिम के पत्रांक–979 दिनांक–31.07.19, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 के पत्रांक–01, कैम्प, पटना दिनांक–01.08.19 द्वारा अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है। जिसमें साक्ष्य संलग्न नहीं रहने के कारण निदेश दिया जाता है कि इस मामले के संबंध में सुस्पष्ट प्रतिवेदन मन्तव्य एवं साक्ष्य सहित अगली बैठक में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तथा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, सिवान–1 द्वारा इस मामले में अपना कोई भी प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने के कारण निदेश दिया जाता है कि अपने स्पष्टीकरण के साथ सुस्पष्ट प्रतिवेदन मन्तव्य एवं साक्ष्य सहित अगली बैठक में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। **विदित हो कि कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पश्चिम अन्तर्गत एक** पदाधिकारी **जिन्हे 5.14860 लाख रू0 अग्रिम दिया गया है, जो लंबित है। कार्य** प्रमण्डल, **सिवान–1 अन्तर्गत एक पदाधिकारी जिन्हे 3.03896 लाख रू0 अग्रिम दिया** गया है, **जो लंबित है तथा कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 अन्तर्गत पॉच पदाधिकारी** जिन्हे **3.22750 लाख रू0 अग्रिम दिया गया है, लंबित है। संदर्भित मामले में पुनः** निदेश **दिया जाता है कि इस मामले से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य के** साथ उपलब्ध **कराया जाय, अन्यथा अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में** आपके **विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।**

5. उप महालेखाकार, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–130 दिनांक–24.05.19 द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति अनुलग्न सहित संलग्न करते हुए कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्य प्रमण्डलों एवं कार्यालय को मासिक लेखाओं पर उठायी गयी लेखा परीक्षा आपत्तियों का समूचित एवं बिन्दूवार अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को प्रेषित किये जाने का निदेश दिया गया था तथा विगत दस वर्षो से लंबित आपत्तियों की सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की गई थी। जिसके आलोक में कार्य प्रमण्डलों के स्तर से की गयी कार्रवाई की सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो खेदजनक है। कृत कार्रवाई से तीन दिनों के अन्दर विभाग को अवगत कराया जाय।

6. ससमय मासिक लेखा का निराकरण नहीं होने के कारण सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि **बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 542 के निहित प्रावधानों के अनुरूप** कार्य **विभाग का मासिक लेखा आगामी माह की 10वीं तारीख तक महालेखाकार** कार्यालय **को उपलब्ध करा दिया जाना है।** इस संबंध में विभागीय स्तर से निरन्तर सभी कार्य प्रमण्डलों को निदेशित किया जाता रहा है। तथापि कई कार्य प्रमण्डलों द्वारा लंबित मासिक लेखा का निराकरण नहीं किया जाना खेदजनक है। निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य प्रमण्डलों से संबंधित मासिक लेखा का निराकरण तीन दिनों के अन्दर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय। संदर्भित मामले में अगली बैठक अगले माह के **प्रथम सप्ताह में दिनांक–01.10.19 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में इसकी** समीक्षा की **जायेगी।** सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0, बिहार उक्त बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

7. जिन कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी द्वारा उक्त बैठक में भाग नहीं लिया गया, उन्हे निदेश दिया जाता है कि अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को निश्चित रूप से तीन दिनों के अन्दर समर्पित करते हुए उक्त बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन/ स्पष्टीकरण के साथ भाग लेना सुनिश्चित किया जाय। दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले कार्य प्रमण्डलों के पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जायेगी।

मुख्य अभियंता–4

ज्ञापांक–13/अ0प्र0–8–15/17 6356 पटना, दिनांक– 3-9-19
प्रतिलिपिः– सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0/ सभी प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0: यथोक्त।

मुख्य अभियंता–4

ज्ञापांक–13/अ0प्र0–8–15/17 6356 पटना, दिनांक– 3-9-19
प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता–4 (मु0), ग्रा0का0वि0/ श्री उदय कान्त चौधरी, अवर सचिव/ श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मु0अ0–4, एवं श्री विनोद कुमार नागवंशी, प्रशाखा पदाधिकारी–13, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता–4

ज्ञापांक–13/अ0प्र0–8–15/17 6356 पटना, दिनांक– 3-9-19
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता–4